आयोग की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

आयोग को विभिन्न माध्यमों जैसे व्यक्तिगत रूप से आयोग के कार्यालय में प्राप्त, डाक, फैक्स, ई०मेल, वाट्सअप, वेबसाईट आदि से प्राप्त विविध आवेदन पत्रों पर आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में अल्पसंख्यकों की समस्याओं से सम्बन्धित प्रकाशित समाचारो पर भी आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है। इन कार्रवाईयों का फलाफल काफी संतोषजनक रहा है। बहुत से मामलों में कार्रवाईयों का नतीजा उल्लेखनीय है। उन्ही उपलब्धियों का सार हम यहाँ पेश कर रहे है।

1. श्री हैदर अली को परिवहन विभाग दरभंगा से 20 वर्ष पूर्व नौकरी से हटा दिया गया था। सब जगहों से थक हारकर उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने चुनौती के रूप में उनकी समस्या को लेते हुए कार्रवाई की अंत में श्री हैदर अली को 20 वर्ष बाद नौकरी में वापस लिया गया।

2. एजाज़ अहमद, माप–तौल (कृषि विभाग) में कार्यरर्त थे तथा सेवाकाल में लापता हो गए थे। 15 वर्षों बाद आयोग के प्रयास से उनकी आश्रिता पुत्री की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की गई।

3. पूर्वी चम्पारण जिला के गोविन्दपुर थाना के राजेपुर ग्राम में अवस्थित मस्जिद में असामाजिक तत्व लाऊड स्पीकर नही लगाने दे रहे थे। आयोग की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए मामले का शांतिपूर्ण समाधान करते हुए मस्जिद में माईक लगवा दिया।

4. लंगरटोली पटना में एक लूट काण्ड में बेकसूर मुस्लिम नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आयोग की पहल कर उक्त नौजवान को मुक्त कराया गया।

5. अरवल जिला के करपी थाना के पचकेसर ग्राम में मुसलमानों का बाईकार के कारण उनका खेत जोत–आबाद नही हो रहा था। आयोग के हस्तक्षेप से जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों में सुलह–सफाई करा दी। कब्रिस्तान की भूमि से फूटबाल का गौलपोस्ट हटाकर अन्यत्र खेलने का मैदान बना दिया गया और जीवन फिर से सामान्य हो गया।

6. मक्का मोअज्जमाँ में एक मजदूर के करंट लगने से मृत्यु को लेकर हुए विवाद में बिहारी मजदूर वहाँ के जेल में बंद थे। आयोग ने इस मामले को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से उठाया तो उन मजदूरो की रिहाई हुई।

7. भागलपुर जिला के कारोडीह प्रखंड में सूरज महल कब्रिस्तान में लाश दफ़न करने को लेकर तनाव हो गया था। आयोग के निदेश पर स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लाश दफ़नाने का काम फिर से शुरू करा दिया।

8. मौजेकतरम कोलुहा थाना सरैया जिला मुजफ्फरपुर के वासी मो० नूर आलम, पिता जमीर अहमद की जमीन को दबंगों के चंगुल से मुक्त कराकर प्रशासन उन्हें कब्जा में दे दिया जिसपर वे मकान बनाकर रह रहे है।

9. मुजफ्फरपुर नगर के गौशाला रोड स्थित चर्च की भूमि को वहाँ के जिम्मेदारान ही बेचना चाहते थे। जिसपर ईसाई समुदाय में काफी रोष था। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इण्डिया के विशप को इस पर रोक लगाने कोकहा था। इस पर उन्होने अपने पत्र दिनांक 30.09.2014 द्वारा चर्च की भूमि बिक्री नही किए जाने का वचन दिया। इस प्रकार चर्च की भूमि की सुरक्षा हो सकी।

10. गया जिला के नौरगां में साम्प्रदायिक तनाव पर अल्पसंख्यक आयोग के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया।

11. वैशाली जिला के लालगंज और दरभंगा जिला के सिमरी थाना में साम्प्रदायिक तनाव पर आयोग ने तुरंत कार्रवाई कर स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में किया।

12. मुजफ्फरपुर जेल में मृत कैदी निसार कुरैशी के मामले को आयोग ने गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को इसकी जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई का आदेश दिया तथा मुआवजा भुगतान का आदेश दिया।

13. मुंगेर में हुए साम्प्रदायिक तनाव पर अध्यक्ष ने स्वंय स्थल पर पहुॅचकर स्थिति को नियंत्रित करने में प्रषासन को सहयोग किया। इस प्रकार अप्रिय धटना धटने से बच सका।

14. आयोग की अनुशंसा पर उर्दू मिडल स्कूल रफीगंज जिला औरगांबाद के शिक्षक मो० शाहिद हुसैन को निलबंन मुक्त किया गया।

15. भागलपुर जेल में मृत कैदी लतीफ मियाँ के सबंध में आयोग ने तुरंत कार्रवाई की तथा मृतक के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

16. अरवल के मासूम बच्ची के साथ हुए बलात्कार में बलात्कारी को गिरफतार किया गया है तथा बच्ची को मुआवजा दिया गया।

17. मधुबनी में बलात्कार की शिकार हुई बच्ची को तीन लाख मुआवजा मिला। प्राथमिकी अभियुक्त सिपाही 796 अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे अप्राथमिकी अभियुक्त सौरभ प्रकाश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक मुधबनी ने आयोग के निदेश के आलोक मे अपने पत्रांक 1220 दिनांक 02.04.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है।

18. आयोग की पहल परगर्दनीबाग राजकीय महाविद्यालय की छात्राओं को फार्म भरने की अनुमति मिली। ज्ञातव्य है कि पंजीयन के बावजूद उन्हें +2 की वार्षिक परीक्षा के लिए फार्म नही भरने दिया जा रहा था।

19. आयोग के निर्देष पर सीवान जिला के हुसैनगंज थाना अध्यक्ष अशीष कुमार मिश्रा को पक्षपात के आरोप के कारण स्थानान्तरण पुलिस अधीक्षक द्वारा कर दिया गया। उसके स्थान पर मो० अकबर की पदस्थापना की गई है।

20. आयोग की अनुशंसा पर BPSC ने 56–59वीं मेन्स की तिथि को रमजान के मद्देनजर बढ़ाकर 15 जुलाई 2016 कर दिया है।

21. Abbot कम्पनी ने आयोग की अनुशंसा पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय के एक एम०आर के विरूद्ध चल रहे दण्डात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मुख्यालय मुम्बई में सुनवाई का निर्णय लिया । सुनवाई हेतु गठित दो सदस्यीय टीम में एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य रखा गया है। साथ ही आवेदक को मुम्बई आने–जाने का AC III का किरया तथा हाल्टिंग का खर्च देने की स्वीकृति कम्पनी ने दी है।

22. कुछ मदरसे ऐसे है जो कि वक्फ बोर्ड में निबंधित है तथा वक्फ बोर्ड द्वारा संचालन समिति गठित की गई है। वही मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है तथा मदरसा बोर्ड द्वारा भी कमिटी का गठन कर देने से विवाद उत्पन्न हो जता है। आयोग ने पूर्वी चम्पारण जिले के मदरसे का उदाहरण देते हुए मदरसा बोर्ड को लिखा था कि चूँकि वक्फ एक्ट केंद्रीय अधिनियम है तथा इसका Over Riding effectहै, इसलिए वक्फ बोर्ड से निबंधित मदरसा की कमिटी वक्फ बोर्ड ही बनाएगी। मदरसा बोर्ड ने आयोग की अनुशंसा को मानते हुए नई कमिटी के संबंध में अपना आदेश वापस ले लिया तथा आयोग को अपने पत्रांक 1907–09 दिनांक 08.04.2016 द्वारा इस आशय की सूचना दी गई है।

23. सबा और फरहा, जो सर से जुड़ी हुई जुड़वा बहने है उन लोगों को स्वः रोजगार हेतु पटना के मोर्यालोक काम्प्लेक्स में एक दुकान आवंटन हेतु पटना नगर निगम को आयोग द्वारा अनुशंसा भेजी गई थी। पटना नगर निगम ने उन्हें एक चलन्त दुकान आवंटित कर दिया है।

24. आयोग की अनुषंसा परश्री अब्दुररऊफ सेवानिवृत अधिकारी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की कटौती की गई उपादान की राशि का भुगतान कराया गया। (महाप्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का पत्रांक 743 दिनांक 26.08.2016)

25. बेगुसराय जिला के बरौनी थाना की रूपसपुर ग्रामवासी सनोबर जमाँ व मनव्वर जमाँ को विपक्षी द्वारा मुकदमा उठाने हेतु मारपीट करने तथा धमकी देने के विरूद्ध आयोग ने निवेष पर पुलिस अधीक्षक बेगुसराय द्वारा कानूनी कार्रवाई तथा उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया गया।

26. जहानाबाद जिला के फिरोजी स्थित एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के निजि तालाब से कथित रूप से मूर्त्ति निकलने तथा पूजा–पाठ कर धार्मिक सौहर्द बिगाड़ने के असमाजिक तत्वों के प्रयास पर आयोग द्वारा तत्परता पर कार्रवाई की गई। आयोग के निदेश पर जिला पदाधिकारी ने तरंत कार्रवाई करते हुए मूर्त्ति को हटवा दिया और इस प्रकर एक बड़ी धटना को टाला गया।

27. कटिहार जिला के मल्लिकापुर उच्च मध्य विद्यालय की प्रखंड शिक्षका शाकिरा खातून का 22 माह का वेतन भुगतान लंबित था। अल्पसंख्यक आयोग के निदेश पर उनका कुल बकाया वेतन 217480/– का भुगतान कर दिया गया। यह सूचना जिला प्रोग्राम अवसर कटिहार ने अपने पत्रांक 1254 दिनांक 03.02.2017 द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कटिहार के मारफत पत्रांक 39 दिनांक 15.02.2017 द्वारा आयोग को संसूचित किया।

28. ग्राम सिगठी थाना भभुआ जिला कैमूर में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या के बाद उक्त ग्राम के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काफी भयभित हो गए थे तथा गांव छोड़कर भाग गए थे।

अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस अधीक्षक कैमूर को दोषियों की गिरफ्तारी तथा अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने को कहा था। पुलिस अधीक्षक कैमूर ने अपने पत्रांक 16 दिनांक 16.02.2017 द्वारा सदस्य–सचिव को सूचित किया है कि सभी दोषियों को गिरफ्तारी हो गई है तथा अल्पसंख्यक समुदाय में विश्वास पैदा होने के कारण वे गांव में वापस लौट आए है तथा अपना पैतृक व्यवसाय चलाकर जीवन यापन कर रहे है। गांव में शांति बनी हुई है तथा सम्प्रदायिक सदभाव बहाल हो गया है।

29. मुजफ्फरपुर जिला कुढ़नी प्रखंड के ग्राम थतिया वासी गुलाम मुतुर्जाके संबंधि के इलाज में सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर के डाक्टर एस•एन•चौधरी द्वारा लापरवाही बरते जाने तथा परिजनो के साथ दूर्व्यवहार किए जाने की शिकायत पर आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को जांच कराकर कार्रवाई करने को कहा था। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने इसकी जांच कराकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को अपने पत्रांक 4143 दिनांक 18.07.2017 द्वारा चिकित्सक के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा तथा इसकी सूचना आयोग के सदस्य–सचिव डॉ० मंसूर अहमद एजाजी को दी है। (अनु०.....)

30. मो0 मोतीऊर रहमान जो कि प्रखंड कार्यालय दिनारा में चतुर्थवर्गीय पद पर कार्यरत थे 7 वर्ष पूर्व लापता हो गए मगर अभी तक उनके परिवार का कोई लाभ नही मिल पाया था। इस आशय का समाचार प्रकाशित होने पर आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए मोतीउरहमान के परिवार से सम्पर्क कर जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक रोहतास से पत्राचार किया और अंत में जिला पदाधिकारी रोहतास ने अपने पत्रांक 364 दिनांक 27.05.2017 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनारा को मोतीउरहमान के परिवार का सेवांत लाभों के भुगतान तथा एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने हेतु कार्रवाई करने का आदेश दिया है।(अनु........)

31. भागलपुर विशेष कारा में बांका जिला के बौंसी अंचल डहुआ ग्राम वासी कैदी लतीफ अंसारी की दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को साथी कैदी के द्वारा बुरी तरह मारपीट किए जाने के कारण धायल अवस्था में मृत्यु हो गई थी। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच कराकर दोषी के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई तथा मृतक के परिजन को मुआवजा भुगतान का निदेश स्थानीय प्रशासन को दिया था। जिला पदाधधिकारी बांका ने अपने पत्र संख्या 361 दिनांक 24.07.2013उ द्वारा आयोग को सूचित किया है कि दोषी कैदी जंग बहादुर के विरूद्ध धारा 303 भा०द०वि० के तहत चार्जशीट समर्पित कर दिया गया है। साथ ही मृतक कैदी लतीफ अंसारी की पत्नी को 4 लाख रूपये का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है।(अनु०..........)

32. डी•एल•एड प्रशिक्षण सामग्री उर्दू में उपलब्ध कराने के संबंध में:– समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित हुई थी कि डी0एल0एड प्रशिक्षण सामग्री उर्दू में उपलब्ध नही कराया जा रहा है। इसका संज्ञान लेतु हुए सदस्य–सचिव डॉ0 मंसूर अहमद एजाजी ने क्षेत्रीय निदेशक एन0आई0ओ0एस को पत्र भेजकर यह अनुशंसा किया था कि उर्दू माध्यम में

शिक्षको को प्रशिक्षण सामग्री उर्दू में उपलब्ध कराया जाए ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यार्थियों को उर्दू माध्यम से शिक्षा दे सके।

क्षेत्रीय निदेशक ने इस अनुशंसा पर तुरंत कार्रवाई करते हुए निदेशक (शैक्षणिक) एन0आई0ओ0एस को अपने पत्रांक 2563 दिनांक 27.10.2017 द्वारा उर्दू माध्यम के शिक्षकों को डी0एल0एड की पाठ्य सामग्री उर्दू भाषा में उपलब्ध कराने को कहा है। (अनु0.....)

33. पश्चिमी चम्पारण जिला चन्यरिया थाना के ग्राम डुमरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों को गाय चोरी तथा बीफ के नाम मारपीट कर बंधक बना लिया गया। इस आशय का प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई करते हुए सदस्य–सचिव डॉ० मंसूर अहमद एजाजी ने पुलिस महानिदेशक को हिसंक भीड़ के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। पुलिस महानिदेशक के कार्यालय के पत्रांक 1006/338783 दिनांक 23.112017 द्वारा सूचित किया गया कि दोषियो के विरूद्ध चनपटिया थाना कांड संख्या–299/17 धारा 174/148/49/341/323रु379/504/295 (ए), 153(ए), भा0द0वि0 दायर कर 4 अभियुक्तो को न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया गया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

34. रोहतास जिला के दिनारा थाना अंतर्गत भड़सरा ग्राम में एक नाबालिक अल्पसंख्यक समुदाय की बच्ची जब धर से बाहर गई तो उसी ग्राम के चंदन चौधरी,पिता–चुनमुन चौधरी ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। हल्ला करने पर वह भाग खड़ा हुआ। स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नही कि तो पीड़िता के पिता ने आयोग कार्यालय में आवेदन भेजा। आयोग ने सदस्य–सचिव, डॉ0 मंसूर अहमद एजाजी ने पुलिस अधीक्षक रोहतास को दोषी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया।

पुलिस अधीक्षक रोहतास ने अपने पत्रांक 44 दिनांक 03.01.2018 द्वारा सदस्य–सचिव को सूचित किया है कि दोषी के विरूद्ध कांड संख्या 363/2017 दिनांक 29. 12.2017 धारा 323/354 (बी0) के भा0द0स एवं 8 पास्को एक्ट दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ कर दिया गया है।

35. गया जिला के दोभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता श्री रियाजुद्दीन अंसारी को ग्रुप बीमा भविष्य निधि में जमाराशि तथा अर्जित अवकाश के समतुल्य नकद का भुगतान नही हो रहा था और नही उनका पेंशन पेपर महालेखाकार को भेजा जा रहा था। श्री अंसारी न परेशान होकर आयोग में आवेदन किया। आयोग के सदस्य–सचिव, डॉ० मंसूर अहमद एजाजी ने गया के सिविल सर्जन को पत्र भेजकर श्री अंसारी सेवानिवृति लाभों का भुगतान करने का निदेश दिया था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दोभी ने अपने पत्रांक 68 दिनांक 08.02.2018 द्वारा सूचित किया है कि श्री अंसारी

के सभी सेवांत लाभो का भुगतान कर दिया है। साथ ही महालेखाकार से पी०पी०ओ संख्या 201711041881 प्राप्त हो गया है तथा उन्हें नियमित पेंशन का भुगतान हो रहा है।

36. गाड़ी संख्या 12368, विक्रमशीला एक्सप्रेस में दिल्ली से आ रहे मुस्लिम विद्धान मौलाना मो० ताहिर और यासिन सिद्दीकी के साथ बढ़हिया स्टेशनपर असमाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई थी। इस आश्य का समाचार प्रकाशित होने पर सदस्य सचिव (डॉ०) मंसूर अहमद एजाजी ने पुलिस महानिदेशक को दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा था ताकि धटना की पुनवृित्ति नही हो।

पुलिस महानिदेशक के पंत्रांक 458 दिनांक 13.02.2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार (रेल पुलिस अधीक्षक जमालपुर का पत्रांक 147 दिनांक 04.02.2018 फोटो के आधार पर दोनों अभियुक्तो छोटु कुमार उर्फ राजेश कुमार पे०स्व० राजेन्द्र प्रसाद, एवं बिट्टू कुमार, पे–अशोक सिहं, बढ़हिया के विरूद्ध आरोप पत्र दाखित कर दिया गया है।

37. आयोग सामाजिक स्तर पर भी अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर है। दो मुस्लिम दम्पत्तियों के बीच मनमुटाव के कारण मामला तलाक तक पहुॅच गया था। आयोग को लड़की वालो की तरफ से शिकायत मिलने पर दोनो परिवार और दम्पत्तियों को बुलाया लम्बी काऊसिलिंग के बाद सुलह करा दिया और दोनों दम्पत्ति आयोग के कार्यालय से खुशी–खुशी एक साथ रवाना हुए।

उसी प्रकार एक इसाई दम्पत्ति के आपसी रंजिश के कारण मामला पुलिस तक पहुॅच गया था। आयोग के प्रयास से दानों मिल गए और मुकदमा समाप्त हो गया।

हिन्दुस्तान
पटना • मंगलवार • 13 मार्च 2018

दंपतियों को मिलवाया

पटना। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यक समुदाय के दो दंपतियों को मिलवाया। आयोग के मीडिया प्रभारी फारूकुज्जमां ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के दो दंपती आपसी मनमुटाव के कारण अलग-अलग रह रहे थे। मामला तलाक तक पहुंच गया था। आयोग ने दोनों दंपतियों व उनके घर वालों को बुलाया और उनकी काउंसिलिंग की। लंबी बातचीत के बाद दोनों जोड़ों की गलतफहमी दूर हुई और वे हंसी-खुशी आयोग से विदा हुए।

38. वैषाली जिला के चकगुलामुद्दीन विद्यालय से सेवानिवृत षिक्षा मो० सईद के वेतन वृद्धि का बकाया अंतर राषि का भुगतान एक साल से लम्बित था। उन्होने उच्चाधिकारी से लेकर कई कार्यालयों का दरवाजा खट–खटाया मगर भुगतान नही हुआ। अंत में आयोग में आवेदन भेजा। सदस्य–सचिव डॉ० मंसूर अहमद एजाजी ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर अविलम्ब भुगतान कराने को कहा। साथ ही पी०आर०ओ मो० फारूकुज्जमाँ ने दूरभाष पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। एक सप्ताह के अंदर ही सेवानिवृत षिक्षा ने मोबाईल द्वारा सूचित किया कि उनका भुगतान हो गया है।

39. समाचार पत्रों में बेगुसराय जिला के फुलवरिया थाना अंतर्गत ग्राम कादिर चक में 7 सितम्बर 2017 को अवैध शराब बिक्रेता के यहाँ शराब पी रहे व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर शराबियों द्वारा तीन अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों मो० रज्जाक, मो० रहमान और मो० शमीम को गोली मार कर बुरी तरह से घायल करने का समाचार प्रकाशित होने पर उसका संज्ञान लेते हुए सदस्य–सचिव डॉ०

मंसूर अहमद एजाजी ने बेगुसराय के जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को अपने पत्रांक 963 दिनांक 11.09.2017 द्वारा दोषियों के विरूद्ध कड़ी कानुनी कार्रवाई करने को कहा था तथा प्रतिवेदन भी मांग की थी।

पुलिस अधीक्षक बेगुसराय ने अपने पत्रांक 4331 दिनांक 21.05.2018 द्वारा सदस्य सचिव को सूचित किया है कि दोषियों के विरूद्ध कांड संख्या 101/17 धारा 147/148/149/307/341/324/326/506 भा0प्र0द0वि एंव धारा 17 शस्त्र अधिनियम दर्ज कर अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में अभ्युिक्त चांद पिता–कामदेव सिहं, ललुआ पिता–भूल्लू सिहं, बौआ जी, पिता–रामबालक सिहं, रंजीत कुमार पिता–विशुनदेव राम, सुबोध कुमार पिता–रामजी दास, विकास कुमार, पिता–सिकंदर पासवान एवं राज कुमार पिता–सुधीर राय के विरूद्ध आरोप सत्य पाया गया। अभियुक्त रंजीत कुमार, सुबोध कुमार, विकास कुमार एवं बौआजी जेल जा चुके है जबकि चांद जमानत पर रिहा है।

40. गया जिला के अलीपुर थाना अंतर्गत ग्राम सिंघाय के अल्पसंख्यक समुदाय की बच्ची को अकेले पाकर उसी गांव के पंकज कुमार पिता–संजय यादव ने दुषकर्म का प्रयास किया मगर हल्ला करने पर वह भाग खड़ा हुआ। पीड़ित बच्ची के पिता ने स्थानीय थाना में नामजद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। परन्तु गिरफ्तारी नही होने के कारण अभियुक्त आजाद घूम रहा था, तथा बच्ची के घर वालों को मुकदमा उठाने की धमकी दे रहा था। बच्ची के पिता ने आयोग से गुहार लगाया तो सदस्य–सचिव, डॉ0 मंसूर अहमद एजाजी ने वरीय पुलिस अधीक्ष गया को पत्र लिखकर अभियुक्ती की गिरफ्तारी तथा बच्ची के घर वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। वरीय पुलिस अधीक्षक गया ने अपने पत्रांक 342 दिनांक 02.08.2018 द्वारा सदस्य–सचिव को संसूचित किया कि अभियुक्त जेल जा चुका है तथा शांती बनाए रखने हेतु धारा 107 द0प्र0स0 के तहत कार्रवाई की गई है।

41. वैशाली जिला के भगवानपुर थाना अंतर्गत प्रतापराड पटेल चौक निवासी मो० इसलाम पिता–स्व0 नूर मोहम्मद के साथ उसी ग्राम के कुछ लोगो ने गाली–गलौज मारपीट किया तथा घर तोड़ दिया। अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर दोषियों के विरूद्ध सुसगत धाराओं में केस दर्ज किया गाय तथा उन्हे गिरफ्तार करने और फरार होने के हालत में सख्ती से कुर्की जप्ती करने का आदेश दिया गया। साथ अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन समाप्त कर भूमि विवाद को निपटारे का भी आदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक वैशाली ने अपने पत्रांक 5406 दिनांक 27.08.2019 द्वारा आयोग क सदस्य–सचिव को सूचित किया है।

42. उर्दू लाईब्रेरी बलिया के प्रागंण में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा RTPS भवन का निमार्ण कराया जा रहा था। आयोग को इसकी शिकायत मिली तो सदस्य–सचिव डॉ० मंसूर अहमद एजाजी ने जिला पदाधिकारी बेगुसराय को पत्र भेजकर इस पर रोक लगाने के लिए कहा। जिला पदाधिकारी बेगुसराय ने अपने पत्रांक 386 दिनांक 11.09.2019 द्वारा उस पर रोक लगा दिया इसकी सूचना सदस्य–सचिव को भी दी है।

43. समस्तीपुर जिला के चकमेहसी थाना के सैदपुर पंचायत के बसवारी गांव के हसन नगर मस्जिद क इमाम कासिम अंसारी को अपराधियों ने गला रेत कर जख्मी कर दिया था। समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई करते हुए सदस्य–सचिव, डॉ0 मंसूर

अहमद एजाजी ने पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए कहा था। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर ने अपना पत्रांक 887 दिनांक 25.09.2019 द्वारा सदस्य–सचिव को सूचित किया है कि दोषियों के विरूद्ध चकमेहसी थाना कांड संख्या–156/19 धारा 341/324/307/504/506/34 भा0द0वि0 के तहत कार्य दर्ज किया गया है तथा थाना प्रभारी को कांड करने वाले का नाम पता कर अग्रेत्तर कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

44. पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन थाना से एक नाबालिग अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की का शादी की नियम से अपहरण कर लिया गया था। आयोग के निदेश पर अपहरणकर्त्ताओं के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए एक अपहरण कर्त्ता फुदेनी भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शेष तीन अभियुक्तो प्रमेश भगत, प्रमोद भगत, मुकेश भगत की गिरफ्तारी लम्बित है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारी चल रही है। पूर्वी चम्पारण के पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्रांक 658 दिनांक 13.09.2019 द्वारा आयोग को सूचित किया गया।

45. वैशाली जिला के गोरौल अंचल अंतर्गत अवस्थित हरशेर उर्दू प्राथमिक विद्या के नाम से उर्दू शब्द हटा दिया गया था। सदस्य–सचिव बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के डॉ० मंसूर अहमद एजाजी ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इसकी जांच कराकर विद्यालय का नाम के साथ पुनः उर्दू जोड़ने को कहा था। शिक्षा विभाग ने जांच हेतु श्री सदस्यीय कमिटी का गठन किया तथा उपलब्ध साक्ष्यों एंव स्थानीय जांच के बाद उर्दू के पक्ष में उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया। शिक्षा विभाग ने अपने पत्रांक 859 दिनांक 22.07.2019 द्वारा विद्यालय का नाम उर्दू बरकरार रखने का आदेश पारित कर दिया गया एवं उर्दू प्राथमिक विद्यालयों में जुमा के दिन साप्ताहिक अवकाश होगा। पत्र की प्रति आयोग को दी गई है।

46. वैषाली जिला के महिला थाना वाद संख्या–06/19 में बलात्कार के अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही हो रही थी। पीड़ित के आवेदन पर डॉ० मंसूर अहमद एजाजी, सदस्य–सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस अधीक्षक वैशाली को पत्र भेज कर अभियुक्त के विरूद्ध अविलम्ब कार्रवाई हेतु कहा था। पुलिस अधीक्षक वैशाली ने अपने पत्रांक 6998 दिनांक 18.10.2019 द्वारा सूचित किया है कि अभियुक्त वैधनाथ भगत के विरूद्ध कांड सही पाया तथा उसे गिरफ्तार जेल भेज दिया गया है।

47. गया जिला के टनकुप्पा थाना के महेर चौक के पास तीन अल्पसंख्यक समुदाय के युवक वलीऊर रहमान उर्फ गोलटू, मो० कैंसर आलम, लयाकत आलम अपने आठ वर्षीय पुत्र अयान के साथ गाड़ी से गुजर रहे थे कि भीड़ ने बच्चा चोर के नाम पर उन पर हमला कर दिया, मार–पीट मे वे लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आयोग ने अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग–सह–नोडल पदाधिकारी मॉब लिंचिंग को पत्र भेजकर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। अपर पुलिस महानिदेशक–सह–नोडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 753 दिनांक 15.10.2019 द्वारा सदस्य–सचिव को सूचित किया है कि 100–150 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध टनकुप्पा थाना कांड संख्या–90/19 धारा 147/148/149/323/324/325/326/504/506/34/120B भा०द०वि० मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले का अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण में सत्य पाया गया है। तीन अभ्युिक्तो को जेल भेज दिया गया है। शेष का पता लगाने तथा सत्यापन का निदेश दिया गया है।

डी०जी०पी ने स्वंय कांड की समीक्षा की है तथा त्वरित गति से अनुसंधान पूरा करने का निदेश दिया गया है ताकि कांड को त्वरित विचारण कराया जा सके।

48. डाक बंगला चौक का नामाकरण दशको पूर्व विश्वकवि रविन्द्र नाथ टैगोर के नाम पर हुआ था। इस आशय का एक छोटा सा बोर्ड वहाँ पर लगा है। आयोग ने पथ निमार्ण विभाग से वहाँ पर एक बड़ा पट्ट लगाने हेतु अनुशंसा की थी। पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख ने इस आशय को अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों को दिया था। मगर अभी तक उसका अनुपालन नही हुआ है। वहाँ पर एक सुंदर और बड़ा आकार का नाम पट्ट लगाया जाए। साथ ही टैगोर की मूर्त्ति लगाने का आदेश दिया जाए।

49. बेगुसराय जिला के चिड़याबरियापुर के कुम्मी ग्रम में फेरी वाले मो० कासिम का नाम पूछकर गोली मार जाने की घटना के संबंध में प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई करते हुए सदस्य–सचिव डॉ० मंसूर अहमद एजाजी ने पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय को दोषी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए कहा था। पुलिस अधीक्षक बेगुसराय ने अपने पत्रांक 7150 दिनांक 18.09.2019 द्वारा सूचित किया है कि मुकदमा संख्या 77/19 धारा संख्या 341/342/307 भा०द० वि कायम कर मामले का जाँच के सत्य पाते हुए अभियुक्त राजीव यादव को जेल भेज दिया गया है।

50. भागलपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के अफसार अंसारी की बच्च चोरी के नाम पर मॉबलिंचिंग किए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने अपर पुलिस महानिदेशक सह राज्य स्तरीय नॉडल पदाधिकारी से त्वरित कार्रवार्ठ के लिए अनुशंसा किया था तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा था। अपर पुलिस महानिदेशक ने अपने पत्रांक 1962 दिनांक 14.11.2017 द्वारा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन भेजा है जो निम्न प्रकार हैः–

भागलपुर में मॉबलिंचिंग से सम्बंधित घटना में कृत कार्रवाई से सम्बन्धित प्रतिवेदन। प्रसंगाधीन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को प्राप्त है। प्राप्त पत्र में उल्लेखित घटना में तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं कृत कार्रवाई निम्न प्रकार हैः–

1. अफसार अंसारी, पिता–स्व० सूजाअत अंसारी, ग्राम–मिरनचक, थाना–जगदीशपुर जिला–भागलपुर को दिनांक 19.10.2019 को चोर–चोर कहकर पीटने व हत्या किये जाने के आरोप में जगदीशपुर (भागलपुर) थाना कांड संख्या–348/19 दिनांक 20.10.2019, धारा–302/34 भा0द0वि0 विरूद्ध 05 (पाँच) नामजद एवं कुछ अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मैंने दिनांक 11. 11.2019 को इस कांड का समीक्षा अनुसंधानकर्त्ता के समक्ष कार्यालय प्रकोष्ठ में किया है।
2. प्राथमिकी के 05 नामजद अभियुक्त में से 04 की गिरफतारी सुनिश्चित की जा चुकी है, जिन्हे जेल भेजा गया है।
3. कांड में दंगा का सुसंगत धारा–147/149 भा0द0वि0 के समावेशन हेतु समीक्षोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता को आवश्यक निदेश दिया गया है।
4. पीड़ित पक्ष को सरकारी प्रावधान के अनुरूप मिलने वाली मुआवजा भुगतान कराने हेतु आवश्यक निदेश दिये गये है।

5. पीड़ित पक्ष को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने व निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये है।
6. घटनास्थल के आसपास के प्रबुद्ध नागरिको की उपस्थिति में शांति समिति गठन हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।
7. पीड़ित पक्ष को सरकारी प्रावधान के अनुसार निःशुल्क विधि परामर्श/सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश निर्गत किया गया है।
8. कांड का अनुसंधान निर्धारित समय में पूर्ण कराकर आरोप पत्र समर्पित कराने का निर्देश निर्गत किया गया है। कांड का त्वरित विचारण कराने का भी निर्देष दिया गया है।
9. वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को इस कांड का अंतिम परिणाम तक स्वंय प्रबोधन करने का आदेश दिया गया है।

51. आलमगंज पटना में मूर्त्ति विसर्जन के दौरान मध्य रात्रि में मस्जिद को उपद्रवियों ने घेरा लिया और पत्थरवाजी करने लगे। इसकी सूचना पी०आर०ओ मो० फारूकुज्जमाँ को मोबाईल पर मिली। उन्होने तुरंत स्थानीय पुलिस से सम्पर्क स्थापित कर इमाम को सपरिवार सुरक्षित निकालने का निदेष दिया। पुलिस प्रषासन ने रात्रि में की उक्त को इमाम सपरिवार सुरक्षित स्थान पर पहुॅचा दिया।

52. मुजफ्फरपुर जिला के मोतिपुर थाना के वृतवरती ग्राम में नेहमत प्रवीण ने आयोग में आवेदन दिया था कि उनके पति तथा अन्य तीन लोगो पूर्व से चल रहे हकीकत वाद को उठाने के लिए पवन कुमार यादव द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी के मेल से दबाव डाला जा रहा है तथा इस क्रम में उनलोगो पर झूठा मुकदमा मोतीपुर थाना कांड संख्या 122/19 धारा 147/323/341/307/406/420/467/471/120 की दायर किया गया है। आयेाग के सदस्य–सचिव डॉ० मंसूर अहमद एजाजी वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को इसका जांच कराकर आवेदिका को न्याय दिलाने के लिए कहा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक 1554 दिनांक 02.12.2019 द्वारा सूचित किया है कि कांड भूमि विवाद कोटी का पाया गया तथा अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र का साक्ष्य नही पाया गया और तदोनुसार अंतिम प्रतिवेदन दाखिल कर दिया गया है।

53. सारण जिला के बनियापुर थाना के ग्राम पठोरी नंदलाल में तीन व्यक्तियों की मवेषी चोरी के नाम पर मॉबलिंचिंग में हत्या का समाचार प्रकाषित होने पर अध्यक्ष प्रो० यूनुस हुसैन हकीम ने इसका सख्त नोटिस दिया। सदस्य–सचिव डॉ० मंसूर अहमद एजाजी ने अपर पुलिस महानिदेषक अपराध अनुसंधान –सह– राज्य स्तरीय नॉडल पदाधिकारी मॉबलिंचिंग को पत्र भेजकर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन भेजने के लिए अनुरोध किया।

अपर पुलिस महानिदेषक अपराध अनुसंधान–सह– नॉडल पदाधिकारी राज्य स्तरीय मॉबलिंचिंग ने अपने पत्रांक 2400 दिनांक 17.12.2019 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन भेजा है जो निम्न प्रकार हैः–

1. थाना बनियापुर (जिला सारण) ग्राम–पठोरी नंदलाल टोला में दिनांक 19.07. 2019 को 04:30 बजे रात्रि में शंकर राम सहित नामजद आठ अभियुक्त एंव 50–100 अज्ञात ग्रामीणों द्वारा मवेषी चोर का हल्ला कर 1. राजू नट 2. विदेषी नट एवं 3. नौषाद आलम को पीट–पीट कर मृत्यु कारित करने के आरोप में विषयाधीन कांड अंकित किया गया है

2. कांड के अनुसंधान / पर्यवेक्षण से यह कांड शंकर राम सहित 17 नामजद अभियुक्त के विरूद्ध सत्य पाया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा निर्गत प्रतिवेदन II में प्राथमिक नामजद शंकर राम सहित 17 अभियुक्त के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302, 504, 506, 427, 379 भा०द०वि एवं 3(i)(s)/3(2)(va) अनु० जाति / जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत सत्या पाया गया है।

3. कांड में प्राथमिकी अभियुक्त / अप्राथमिकी अभियुक्त कुल 09 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एंव कांड का अनुसंधान पूर्ण कर मूल आरोप पत्र संख्या–277 / 19, दिनांक 14.10.219 धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302, 504, 506, 427, 379 भा०द०वि एवं 3(i)(s)/3(2)(va) अनु० जाति / जनजाति अत्याचार अधिनियम विरूद्ध 9 अभियुक्त के समर्पित किया जा चुका है। आरोप पत्र न्यायालय में हस्तगत की जा चुकी है।

4. शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिष्चित करने गिरफ्तारी नही होने की स्थिति में कुर्की जप्ती की कार्यवाही सुनिष्चित करने का निदेष पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा दी जा चुकी है।

5. एक अभियुक्त बंषी राम की मृत्यु हो गई है। शेष 07 अभियुक्त के विरूद्ध कुर्की जप्ती अधिपत्र निर्गत करने हेतु अधियाचना पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित की गई है। कुर्की जप्ती न्यायालय से प्राप्त नही हुई है। इसी बिंदु पर पूरक अनुसंधान जारी है।

6. पीड़ित पक्ष के परिवार को परिपूर्त्ति राषि (मुआवजा राषि) भुगतान हेतु प्रस्ताव समर्पित की जा चुकी है। राषि भुगतान की प्रक्रिया जिलाधिकारी, सारण के विचाराधीन है।

7. अज्ञात व्यक्तियों का पता करने हेतु वैज्ञानिक आधारित अनुसंधान करने एंव विडियो फुटेज का विष्लेषण कर अग्रेत्तर कार्रवाई का निर्देष दी जा चुकी है।

8. तीनो मृतका का P.M.Reportअनुसंधान को उपलब्ध है।

54.